राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः13.09.2014

जिला कलेक्टर, समस्त
राजस्थान।

विषयः- भामाशाह योजनान्तर्गत नामांकन डाटा की गुणवत्ता बाबत।

संदर्भः- परिपत्र-4 क्रमांकःएफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/दिनांकः03.09.2014

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार नामांकन में रह गयी त्रुटियों को उपलब्ध दस्तावेज तथा भरे गये नामांकन प्रपत्र के आधार पर प्रथमतः ब्लॉक स्तर पर दूर किया जाना है। इस हेतु ब्लॉक में सम्पन्न हुए शिविरो की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ब्लॉक के राजस्थान आई.टी.सम्पर्क केन्द्र पर आवश्यकतानुसार ब्लॉक/जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत सूचना सहायकों एवं संगणकों का दल गठित किया जाकर त्रुटियों को दूर करने का कार्य निम्नानुसार किया जाएगा :-

अ. संपन्न हुए शिविरों में नामांकन में त्रुटि सुधार

1. नामांकन एजेन्सी द्वारा 3-4 नामांकन मशीनें मय आपरेटर ब्लॉक स्तर पर लगाई जाएंगी।
2. सूचना सहायकों एवं संगणकों द्वारा नामांकन के लिए फीड की गई सूचना का प्रिन्ट लेकर, मूल नामांकन प्रपत्र तथा संलग्न दस्तावेजों से मिलान किया जायेगा। सूचना में भिन्नता पाये जाने पर मूल नामांकन प्रपत्र अनुसार प्रिन्ट प्रपत्र पर हाथ से संशोधन किया जावेगा।
3. यदि किसी नामांकन में हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के अनुवाद में भिन्नता हो तो उसमें भी संशोधन किया जाना है।
4. उक्तानुसार संशोधित डाटा नामांकन एजेन्सी के ऑपरेटर द्वारा ब्लॉक स्तर पर फीड कर त्रुटियों को दुरूस्त किया जायेगा।
5. इस प्रकार संशोधित डाटा फीडिंग उपरान्त संबधित सत्यापकों से पुनः डाटा सत्यापित कराया जाकर ग्रम पंचायत/शहरी वार्ड की प्रविष्टियां त्रुटि रहित कर अपलोड की जानी हैं।
6. ब्लॉक स्तर पर त्रुटियाँ दूर करने के उपरान्त शेष रही त्रुटियाँ अथवा ऐसी त्रुटियाँ जिनको दूर करने के लिए नामांकित परिवार/व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है, को

दूर करने हेतु शिविर स्थल अथवा दो-तीन पंचायतों के क्लस्टर पर पुनः शिविर (Follow-Up Camps) आयोजित किये जाएंगे।

7. एक मशीन पर दो सूचना सहायक/संगणक के अनुपात में कार्मिक लगाये जाने हैं।
8. यदि सूचना सहायकों एवं संगणकों की अपेक्षित उपलब्धता नहीं हो तो स्नातक या उससे अधिक योग्यता रखने वाले अन्य विभागों के कार्मिकों को लगाकर त्रुटियों को दूर किया जावे।

ब. नामांकन शिविरों में त्रुटि सुधार

1. कतिपय जिलों द्वारा नियमित शिविरों में त्रुटि रहित नामांकन सुनिश्चित करने के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के साथ सूचना सहायक, संगणक, भू-अभिलेख निरीक्षक व अन्य कार्मिकों को लगाकर Concurrent Audit करवायी गयी है, जिसके सार्थक एवं सफल परिणाम प्राप्त हुये है। इस हेतु नामांकन ऑपरेटर द्वारा एन्ट्री के उपरान्त नामांकन प्रपत्र का प्रिन्ट आऊट लेकर इन कार्मिकों द्वारा इसका पूर्व में भरे गये एवं सत्यापित किये गये प्रपत्र से शत-प्रतिशत मिलान कर त्रुटियों को साथ ही ऑपरेटर से ठीक कराया जाना है।
2. इन शिविरों में नामांकित सूचना का प्रिन्ट लेकर निवासी को पढ़कर भी सुनाया गया, जिससे नामांकन की गुणवत्ता में और सुधार हुआ है।
3. अतः उपरोक्त प्रक्रिया को आयोजित किए जा रहे शिविरों में उक्तानुसार सूचना सहायक एवं संगणकों के दल गठित कर नामांकन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
4. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि प्रथम सत्यापक द्वारा यथासंभव इस प्रक्रिया के उपरान्त ही कम्प्यूटर पर सत्यापन किया जाए।

अतः उक्तानुसार नामांकन त्रुटियों का दुरूस्तीकरण तथा Concurrent Audit कराना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना